भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 780

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष

780. श्री के. ई प्रकाश:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या तमिलनाडु में निर्भया कोष के माध्यम से मंत्रालय की किसी विशिष्ट परियोजना/पहल को वित्तपोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्भया कोष के अंतर्गत तमिलनाडु में कितने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित/समर्थित हैं तथा उनकी वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में निर्भया कोष परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनसे निपटने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) आगामी वर्षों में तमिलनाडु में निर्भया कोष पहलों के दायरे और प्रभाव का विस्तार करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ) : तमिलनाडु में निर्भया कोष के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं::

क्र.सं..	परियोजनाओं के नाम
i.	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)

ii.	सुरक्षित शहर परियोजना (चेन्नई)
iii.	राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक से संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करना
iv.	पुलिस स्टेशनों (डब्ल्यूएचडी) में महिला सहायता डेस्क
v.	फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण और यौन उत्पीड़न मामलों के लिए फोरेंसिक किट की खरीद
vi.	983 ए 1, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों (आईईआरएमएस) पर एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली
vii.	दक्षिणी रेलवे सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2109 टैब की खरीद
viii.	चेन्नई सेंट्रल स्टेशन सहित 7 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वीडियो-निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) का प्रस्ताव
ix.	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय
x.	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)
xi.	महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण
xii.	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)
xiii.	केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष
xiv.	मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयां (एएचटीयू)
xv.	पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखरेख और सहायता के लिए योजना

अब तक, तमिलनाडु के लिए 48 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 47 ओएससी क्रियाशील हैं।

निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित हैं। अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्भया कोष की रूपरेखा में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन करती है।

अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्रम अलग-अलग है। इसके अलावा, अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा कुछ मूल्यांकित परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें केंद्र सरकार संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के निर्धारित निधि हिस्सेदारी पद्धति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करती है और स्वीकृत कार्यान्वयन अवधि के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा ऐसी योजनाएं हैं जिनमें सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है। इनके संबंध में सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)/प्राधिकरण से उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर आगे की धनराशि जारी की जाती है।

****